संख्या- 122/2025/1545/छप्पन-2025-43/2015-56-1002/11/2019

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2025

विषय: M/s Leonardo S.P.A से क्रय किये जा रहे नये हेलीकाप्टर के स्पेयर्स/ टूल्स पर कस्टम ड्यूटी के रूप में होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 273 ना0उ0नि0/इंजी/PUR/2025 दिनांक 26 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा M/s Leonardo S.P.A से क्रय किये जा रहे नये हेलीकाप्टर के स्पेयर्स/ टूल्स जोकि इन्वाइस संख्या 201085225-2025 द्वारा विभाग को भेजे गये हैं, को कस्टम से छुड़ाने पर कस्टम ड्यूटी के रूप में होने वाले अनुमानित व्यय रू0 97,20,000/- (रूपये सत्तानबे लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए आहरित धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा में क्रियाशील बचत खाता संख्या 32690267244 में जमा किये जाने यथासमय आहरित एवं विभागीय बचत खाता में जमा धनराशि को Central Board of Indirect Taxes & Customs को चेक/ NEFT के माध्यम से चालान द्वारा जमा किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया M/s Leonardo S.P.A से क्रय किये जा रहे नये हेलीकाप्टर के स्पेयर्स/ टूल्स (इन्वाइस संख्या 201085225-2025 द्वारा प्रेषित) पर कस्टम ड्यूटी के रूप में होने वाले अनुमानित व्यय रू0 97,20,000/- (रूपये सत्तानबे लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा में क्रियाशील बचत खाता संख्या 32690267244 में जमा किये जाने तथा आहरित धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखने व यथासमय आहरित एवं विभागीय बचत खाता में जमा धनराशि को Central Board of Indirect Taxes & Customs को चेक/ NEFT के माध्यम से चालान द्वारा जमा किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर यदि किसी विभागीय बचत बैंक खाते में जमा/रखा जाएगा, तो उक्त धनराशि से अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/ वायुयान का क्रय के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-129/दस-2025-26, दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 122/2025/1545(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।